एक ऐसा भारत- जहां हर नागरिक को सम्मान मिले, जहां सद्भावना हो, लोकतंत्र और संविधान से देश मजबूती से खड़ा हो। पापा, आपके देखे इस सपने को पूरा करना ही मेरा जीवन लक्ष्य है। —— राहुल गांधी, कांग्रेस नेता

जिस तरह कासगंज, बाराबंकी, जौनपुर के जिलाधिकारी हमारे 18000 शपथपत्रों के बारे में अचानक अति सक्रिय हो गए हैं, उसने एक बात तो साबित कर दी है कि निर्वाचन आयोग की यह बात झूठ है कि एफिडेविट नहीं दिया गया। —— अखिलेश यादव, सपा प्रमुख

देश राजीव गांधी का सदैव ऋणी रहेगा : यादव

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने आधुनिक भारत के शिल्पकार, भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 81वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश कार्यालय में राजीव गांधी की तस्वीर और यहां बने स्टैच्यू पर माल्यापर्ण किया।

देवेन्द्र यादव बुधवार सुबह राजीव गांधी की समाधि वीर भूमि पर प्रार्थना करने के बाद राजीव भवन में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ राजीव गांधी को याद किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले राजीव गांधी का देश सदैव ऋणी रहेगा। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के दूरदर्शी नेतृत्व ने जहां भारत के लिए दुनिया में नए दरवाजे खोले, वहीं देश में आईटी क्रांति लाकर युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक मजबूत बुनियाद रखी थी। विश्व भर में भारत के युवा आईटी के क्षेत्र में जिस तरह से अग्रणी बनकर अपना भविष्य बनाकर देश का नाम रोशन कर रहे है, यह सब राजीव गांधी के कारण ही संभव हुआ है।

इस मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन, कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन अनिल भारद्वाज, पूर्व विधायक हरी शंकर गुप्ता, विजय लोचव, एनएसयूआई अध्यक्ष वरुण चौधरी, जिला अध्यक्ष मदन खोरवाल, राजकुमार चौहान समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता शामिल हुए।

बुजुर्ग महिला की हत्या कर लूटने वाला बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार

नोएडा (एसएनबी)। थाना बादलपुर पुलिस ने मंगलवार की देर रात एक महिला की हत्या कर उसके साथ लूटपाट करने वाले बदमाश को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा चलाई गई गोली उसके पैर में लगी है। इसके पास से पुलिस ने महिला से लूटा हुआ मोबाइल फोन, जेवरात आदि बरामद किया है।

■ बदमाश के पैर में लगी गोली

पुलिस उपयुक्त जोन द्वितीय शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि थाना बादलपुर पुलिस द्वारा रोजियाकूब पर रेलवे फाटक के पास चैकिंग की जा रही थी, तभी सामने से एक व्यक्ति पैदल आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो वह सड़क से नीचे उतर कर खुले जंगल की ओर भागने लगा। उन्होंने बताया कि शक होने पर पुलिस ने उसका पीछा किया। उक्त व्यक्ति द्वारा पुलिस से स्वयं को घिरा हुआ देखकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई गई। उन्होंने बताया की जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। पुलिस द्वारा चलाई गई गोली पप्पू उर्फ पप्पू मिस्त्री पुत्र हरपाल निवासी ग्राम मुकुंदपुर थाना मदरसा जनपद अलीगढ़ के पैर में लगी है। वह मौजूदा समय में छपरौला गांव में किराए के मकान मे रहता है। इसकी उम्र 27 वर्ष है।

उन्होंने बताया कि घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डीसीपी ने बताया कि इसके पास से पुलिस ने एक देसी तमंचा, कारतूस, एक मोबाइल फोन, सोने के जेवरात, एक ब्लेड आदि बरामद किया है।

बिसरख डूब एरिया में चला ग्रेनो प्राधिकरण का बुल्डोजर

ग्रेटर नोएडा (एसएनबी)। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने अधिसूचित एरिया में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण ने बिसरख के डूब क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ बुधवार को बुल्डोजर चलाया। प्राधिकरण ने करीब 25 हजार वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा लिया है। कालोनाइजर डूब क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग करने की कोशिश कर रहे थे।

ग्रेनो प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने अतिक्रमण करने वाले को चेतावनी दी है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित एरिया में अनुमति के बिना या फिर बिना नक्शा पास कराए बिना अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसीईओ ने लोगों से भी अपील की है कि ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें।

■ करीब 25000 वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण से कराया मुक्त

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की टीम अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जीएम एके सिंह ने बताया कि ग्रेटर नोएडा के बिसरख गांव के डूब क्षेत्र (खसरा संख्या-112 व 113) की लगभग 25 हजार वर्ग मीटर जमीन पर कालोनाइजर अवैध कालोनी काटने की कोशिश कर रहे थे। यह जमीन प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में है। बुधवार को जीएम एके सिंह सहित ओएसडी रामनयन सिंह, वर्क सर्किल तीन के प्रभारी राजेश निम और नागेंद्र सिंह, प्रबंधक रोहित गुप्ता, पुलिस-प्रशासन और पीएसी की मौजूदगी में बुधवार को इन खसरा नंबरों की जमीन पर हुए अतिक्रमण को ढहा दिया। प्राधिकरण की तरफ से तीन जेसीबी और दो डंफर का इस्तेमाल कर अवैध निर्माण को तोड़ दिया। यह कार्रवाई लगभग दो घंटे चली।

नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

नोएडा (एसएनबी)। थाना सेक्टर-63 क्षेत्र के सेक्टर 63-ए में स्थित नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही मृतक के परिजनों का आरोप है कि नशा मुक्ति केंद्र में उसकी पिटाई की गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। पुलिस अधिकारियों कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

थाना सेक्टर 63 के प्रभारी निरीक्षक अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि जनपद आगरा के रहने वाले पिंटू उम्र 35 वर्ष को उनके भाई मनीष ने नोएडा के सेक्टर 63 ए की स्थिति एक नशा मुक्ति केंद्र में रविवार को उपचार के लिए भर्ती करवाया। उन्होंने बताया कि मंगलवार को पिंटू की मौत हो गई। उसे सेक्टर 63 ए स्थित नशा मुक्ति केंद्र से मेरठ के लिए रेफर किया गया था।

■ मृतक के भाई ने लगाए गंभीर आरोप

मेरठ से उसे एम्स दिल्ली भेजा गया। जहां पर उसकी मौत हुई। उन्होंने बताया कि मृतक के भाई मनीष ने इस मामले की सूचना थाना सेक्टर-63 पुलिस को दी। थाना सेक्टर 63 पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणो का पता चलेगा। वहीं मृतक के भाई मनीष का आरोप है कि उसके भाई की नशा मुक्ति केंद्र मे पिटाई की गई है, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। उसने बताया कि उसका भाई जब रविवार को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती हुआ था तो वह ठीक था। दो दिन में ऐसी क्या परिस्थितियों बन गई कि उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई के अनुसार मंगलवार 10:30 बजे के करीब नशा मुक्ति केंद्र से उसे फोन आया और कहा गया कि उसके भाई की तबीयत खराब है। वह दिल्ली के एम्स अस्पताल में पहुंचा तो उसने पाया कि उसकी भाई की मौत हो चुकी है। मनीष ने पुलिस के आला अधिकारियों से इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

मीडिया कर्मी का मोबाइल फोन लूटा

नोएडा (एसएनबी)। थाना फेस -1 क्षेत्र से बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने एक मीडिया कर्मी का मोबाइल फोन लूट लिया। पीड़ित की शिकायत पर घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना फेस- वन के प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार मान ने बताया कि एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में काम करने वाले हरजिंदर सिंह ने बीती रात को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह लुधियाना से नोएडा स्थित कार्यालय में किसी काम से आए थे। वह संदीप पेपर मिल के पास खड़े थे, तभी बाइक पर सवार होकर आए अज्ञात बदमाशों ने उनका कीमती मोबाइल फोन लूट लिया।

कुत्ते को मारी टक्कर, मौत

नोएडा(एसएनबी)। थाना सेक्टर 49 क्षेत्र के सेक्टर 50 में रहने वाले एक व्यक्ति के पालतू कुत्ते को एक अज्ञात कार चालक ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए टक्कर मार दिया। इस घटना में कुत्ते की मौत हो गई। कुत्ते के मालिक ने इस मामले में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है। थाना सेक्टर 49 के प्रभारी निरीक्षक अनुज कुमार सैनी ने बताया कि सेक्टर-50 में रहने वाले समीर माथुर अपने पालतू कुत्ते को लेकर मंगलवार को जा रहे थे, तभी एक अज्ञात कार चालक ने उन्हें टक्कर मार दिया। इस घटना में कुत्ते की मौत हो गई।

पटरी पर सो रहे युवक को अज्ञात वाहन ने कुचला, मौत

नोएडा (एसएनबी)। थाना फेस -3 क्षेत्र के गढ़ी चौखंडी गोल चक्कर के पास सड़क किनारे पटरी पर सो रहे एक 30 वर्षीय व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। घटना को अंजाम देने के बाद वाहन चालक मौके से भाग गया। इस घटना में उसकी मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

थाना फेस -3 के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि गांव गढ़ी चौखंडी गोल चक्कर के पास आटो स्टैंड पर सड़क किनारे पटरी पर सो रहे एक 30 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति को अज्ञात वाहन चालक ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए आज तड़के कुचल दिया। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे नोएडा के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। आसपास के लोगों और सोशल मीडिया की सहायता से शव की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि मृतक शराब पीने का आदि था तथा वह कई बार शराब पीकर पटरी पर सो जाता था। उन्होंने बताया कि गोल चक्कर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की सहायता से उक्त घटना को अंजाम देने वाले वाहन की तलाश की जा रही है।

■ वाहन चालक मौके से फरार

सड़क हादसे मे एक की मौत, एक घायल : थाना फेस -2 क्षेत्र के सेक्टर 83 मेट्रो स्टेशन के पास मंगलवार की शाम को एक अज्ञात वाहन चालक ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को टक्कर मार दिया। इस घटना में गंभीर रूप से घायल एक युवक की उपचार के दौरान आज मौत हो गई है। एक की हालत नाजुक बनी हुई है।

थाना फेस-2 के प्रभारी निरीक्षक विंध्याचल तिवारी ने बताया कि अंकुर (29) तथा बिजेंदर (35) मंगलवार की शाम को बाइक पर सवार होकर सेक्टर 83 मेट्रो स्टेशन के पास से गुजर रहे थे, तभी एक अज्ञात वाहन चालक ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दिया। उन्होंने बताया कि घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए नोएडा के सेक्टर 137 स्थित फेलिक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया, वहां पर उपचार के दौरान अंकुर की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

हिस्ट्रीशीटर पर 50 हजार रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप

हापुड़ (एसएनबी)। थाना हापुड़ देहात क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से घायल हुए हिस्ट्रीशीटर मामले में आरोपी की मां ने घटना से पूर्व हिस्ट्रीशीटर पर घर में घुसकर 50 हजार रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है। जानकारी के अनुसार हापुड़ के त्यागी नगर निवासी व हिस्ट्रीशीटर अतुल त्यागी पर उसके ही परिचितों पर गोली मारकर घायल करने के आरोप में भाजपा नेता सहित चार लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई थी, जबकि पुलिस का कहना था कि हिस्ट्रीशीटर को गोली छूकर निकल गई थी। पुलिस मामले को संदिग्ध मानकर चल रही है।

■ केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी

इस मामले में नामदर्ज हुए देवलोक कालोनी निवासी दीपांशु की मां शिखा त्यागी ने बताया कि 18 अगस्त की दोपहर वह अपने बेटे के साथ घर पर थीं। इसी दौरान हिस्ट्रीशीटर अतुल त्यागी जबरन उनके घर में घुस आया और पिस्टल दिखाकर 50 हजार की रंगदारी मांगी और न देने पर उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। रंगदारी न देने पर आरोपी ने स्वयं ही फर्जी घटना कर दीपांशु और अन्य पर केस कराया है। एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि हिस्ट्रीशीटर अतुल त्यागी पर 18वीं एफआईआर दर्ज करवाई गई है। मामले की जांच की जा रही है।

नाबालिग को भगा ले गया युवक: थाना हापुड़ क्षेत्र के एक मोहल्ला से फेसबुक पर हुई दोस्ती के बाद मुरादाबाद निवासी एक युवक नाबालिग को बहला फुसलाकर ले गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हापुड़ के एक मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री की दोस्ती फेसबुक पर मुरादाबाद निवासी सचिन कुमार से एक माह पूर्व हुई थी। दो अगस्त को आरोपी सचिन कुमार पीड़ित की पुत्री को भगाकर अपने साथ ले गया है। पीड़ित ने अन्देशा व्यक्त किया है कि आरोपी उसकी पुत्री के साथ कोई अनहोनी वारदात न कर दे।

सांसद सांगवान ने केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात

मोदीनगर (एसएनबी)। बागपत मोदीनगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ राजकुमार सांगवान ने केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात कर मोदीनगर के कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय को केंद्रीय निगम द्वारा संचालित ईएसआईसी के अधीन कर विशिष्ट एक्सीडेंट और ट्रामा सेंटर में बदलने की मांग की।

सांसद ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि मोदीनगर का यह अस्पताल कभी फ्लैगशिप अस्पताल हुआ करता था लेकिन राज्य सरकार द्वारा संचालित होने के कारण इस अस्पताल पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया और इसी कारण इस अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर, सर्जन, नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियन और रेडियोलॉजी की कमी आई गई। ऐसे में बीमित व्यक्ति और उसके आश्रितों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस अस्पताल में आने वाले मरीजों को अस्पताल द्वारा नामित प्राइवेट अस्पतालों के लिए रेफर किया जा रहा है जिसके चलते प्राइवेट अस्पताल वाले मोटी रकम वसूल रहे हैं।

महिला के साथ मारपीट व छेड़छाड़

साहिबाबाद (एसएनबी)। फिल्म में आई एक युवती के साथ कुछ लोगों ने मारपीट और छेड़छाड़ की। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। मिली जानकारी के अनुसार भोवापुर में रहने वाली एक महिला ने थाना कौशांबी में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह 15 अगस्त की रात को ब्लू क्लब आई थी। वहां उसके साथ अरशद, इरशाद व इमरान ने मारपीट व गाली-गलौज की। वहां उसके साथ छेड़छाड़ की गई। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। उसने किसी तरह भाग कर अपनी जान बचाई। इस संबंध में थाना कौशांबी पुलिस ने महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई

हापुड़ (एसएनबी)। थाना हापुड़ क्षेत्र के नेशनल हाईवे-334 पर एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई, जिससे कार में एयरबैग खुल गए और कार चालक की जान बच गई। कार चालक शराब के नशे में धुत बताया गया। हालांकि हादसे में सड़क किनारे झुग्गी डालकर रह रहे धूधलिए बाल-बाल बच गए। घटना से जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंच क्षतिग्रस्त कार को हटवाकर ट्रेफिक सुचारू किया। बुधवार को एक कार मेरठ से हापुड़ की तरफ आ रही थी, अचानक वैगनआर कार दीवान स्कूल के सामने बने डिवाइडर से अनियंत्रित होकर टकरा गई। जिसकी आवाज सुनकर सड़क किनारे रह रहे धूधलिए झुग्गी से बाहर निकल आए और कार सवार को बाहर निकाला। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का सेफ्टी एयर बैग खुल गया। लोगों ने जब चालक को बाहर निकाला तो वह शराब के नशे में धुत पाया गया। उसे सड़क किनारे बैठाकर पुलिस को सूचना दी गई। थाना प्रभारी निरीक्षक मुनीश प्रताप सिंह ने बताया कि सड़क में खड़ी क्षतिग्रस्त कार को तुरंत क्रेन बुलाकर किनारे लगवाया गया और ट्रैफिक सुचारू किया।

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 सीआरपीसी देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **संतोष कुमार पुत्र स्वर्गीय खगेंद्र कुमार निवासी मकान नं.1893, गली नं. 44, ब्लॉक-बी, कौशिक एन्क्लेव, बुराड़ी, दिल्ली-84** ने **सीसी संख्या 7290/2019, धारा 138 एनआई एक्ट, थाना कोतवाली, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया है कि उक्त अभियुक्त **संतोष कुमार** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया है कि उक्त अभियुक्त **संतोष कुमार** फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है **कि सीसी संख्या 7290/2019, धारा 138 एनआई एक्ट, थाना कोतवाली, दिल्ली** के उक्त अभियुक्त **संतोष कुमार** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **26.09.2025** को या उससे पूर्व हाजिर हो।

आदेशानुसार
सुश्री आरूषि परवाल
एलडी. न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी(एनआई एक्ट)-05
(केंद्रीय जिला), कमरा नं. 02, भूतल, केंद्रीय
उपभवन-1, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

DP/10934/N/2025

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr. P.C. देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त आरोपी **जाकिर, पुत्रः** श्री मियाजान, **पताः** मकान नं. 35, ब्लॉक–ए, प्रेम नगर, खूब्रम पार्क, किरारी सुलेमान नगर, दिल्ली **FIR No. 507/2020; U/s: 429 IPC & 47 TO 56 TA ACT & 11A PCA ACT, पुलिस थानाः सिविल लाइन्स, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **जाकिर**, मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **जाकिर**, फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि उक्त अभियुक्त **जाकिर, FIR No. 507/2020; U/s: 429 IPC & 47 TO 56 TA ACT & 11A PCA ACT, पुलिस थानाः सिविल लाइन्स, दिल्ली** से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **08.10.2025** को या उससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
गौरव गोयल
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी–06
केन्द्रीय जिला, कमरा संख्या 247
तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

DP/10609/N/2025
(Court Matter)

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr. P.C देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **दीपक सिंह उर्फ बाबा, पुत्रः महिमन्त सिंह, निवासीः 437/2, मेन रोड मंडावली, ढींगरा क्लिनिक के पास, मंडावली, फजलपुर ईस्ट, दिल्ली** ने अपराध किया है (या किए जाने का संदेह है) **FIR No.177/2022 U/S 188 IPC** के तहत एक मामला **थाना मंडावली, दिल्ली** में दर्ज किया गया है और उसके बाद जारी गिरफ्तारी वारंट को यह कहते हुए वापस कर दिया गया कि अभियुक्त **दीपक सिंह उर्फ बाबा** नहीं मिला या मेरी संतुष्टि के लिए दिखाया गया है कि आरोपी **दीपक सिंह उर्फ बाबा** फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा कि **FIR No.177/2022 U/S 188 IPC, थाना मंडावली, दिल्ली** के आरोपी उक्त **दीपक सिंह उर्फ बाबा** को उक्त शिकायत का जवाब देने के लिए **दिनांक 10.12.2025** को या उससे पहले अदालत के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है।

आदेशानुसार, सचिन
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी–03,
पूर्वी जिला, कमरा नं. 16,
कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली

DP/10973/ED/2025
(अदालती मामला)

फॉर्म 'सी'

दिवाला और शोधन अक्षमता (निगमित ऋणी के लिए व्यक्तिगत प्रतिभूतियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019 के नियम 9(1) के अंतर्गत)

श्री आशीष महेंद्रू (एडवांस सर्फेक्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर) के लेनदारों के ध्यानार्थ

एतत्द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानूनी न्यायाधिकरण ने **श्री आशीष महिन्द्रू, निवासी – बी–1503, आईआरईओ, स्काईओन, सेक्टर–6, गुरुग्राम– 122102, हरियाणा** के विरुद्ध **दिनांक 19.08.2025** को दिवालियापन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

श्री आशीष महेन्द्रू के लेनदारों से अनुरोध है कि वे अपने दावे **दिनांक 28.08.2025** को या उससे पहले शोधन अक्षमता ट्रस्टी **श्री ज्ञान चन्द नारंग** के कार्यालय संख्या 409, अंसल भवन, 16 के.जी. मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 में सबूत के साथ प्रस्तुत करें।

लेनदारों के दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **28.08.2025** होगी। लेनदार अपना दावा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या हाथ से या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

	ऋणशोध अक्षमता ट्रस्टी का अतिरिक्त विवरण	
1.	ऋणशोध अक्षमता ट्रस्टी का नाम और पंजीकरण संख्या	श्री ज्ञान चंद नारंग IBBI/IPA-002/IP-N00362/2017-18/11031 एएफए वैधता : 31.12.2025 तक
2.	ऋणशोध अक्षमता ट्रस्टी का पता और ई–मेल आईडी और फोन नं., जैसा कि IBBI के साथ पंजीकृत है	पता : बी– 32, फ्रेंड्स टावर, सेक्टर–9, रोहिणी, नई दिल्ली–110085 फोन–8860040302 ईमेल : narangcg58@gmail.com
3.	ऋणशोध अक्षमता ट्रस्टी के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता, ई–मेल आईडी और फोन नं.	पता : 409, अंसल भवन 16, के.जी. मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 ईमेल : – pg.adv.surf@outlook.com फोन : 011–45101111 / 40078344

नोट : फर्जी या भ्रामक दावे, प्रमाण सहित प्रस्तुत करने पर दिवाला एवं ऋणशोध अक्षमता संहिता, 2016 अथवा किसी अन्य लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार दंड लगाया जाएगा।

(हस्ता./–) ज्ञान चंद नारंग
दिनांक : 21.08.2025 स्थान : नई दिल्ली ऋणशोध अक्षमता ट्रस्टी

E- AUCTION NOTICE

E- Auction is going to be held on **"AS IS WHERE IS", "WHATEVER IS THERE IS"** for on per Kg basis disposal of damaged material Approx. 117.50 MT (Aluminium cable, copper cable, panel, AC, UPS and Battery) belonging to **M/s Vedanta Ltd** lying at their plant located at Lanjigarh, Odisha.

Damaged Material can be inspected from 21/08/25 to 29/08/25.E-Auction to be held on 30/08/25.

For E-Auction forms, Contact **Mr. Ashish Rajak at Mob:09870570511, 8383826416** of Optimum Realiser E-Auctionner Pvt Ltd

Address: Faridabad- 121001. Last date for submission of E-auction form is 29/08/25 before 06.00 PM.

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **सन्नी कुमार, पुत्रः श्री महेंद्र, निवासीः मकान संख्या 537, गली संख्या 8, नई बस्ती किशन गंज, दिल्ली** ने अपराध किया है (या किए जाने का संदेह है) **FIR/CC No.169/2025 U/S 304(2)/134/238/61(2)/3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023** के तहत एक मामला **थाना प्रसाद नगर, दिल्ली** में दर्ज किया गया है और उसके बाद जारी गिरफ्तारी वारंट को यह कहते हुए वापस कर दिया गया है कि अभियुक्त **सन्नी कुमार** नहीं मिला या मेरी संतुष्टि के लिए दिखाया गया है कि अभियुक्त **सन्नी कुमार** फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा कि **FIR/CC No.169/2025 U/S 304(2)/134/238/61(2)/3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 थाना प्रसाद नगर, दिल्ली** के अभियुक्त **सन्नी कुमार** को उक्त शिकायत का जवाब देने के लिए दिनांक **25.09.2025** को सुबह **10.00** बजे या उससे पहले अदालत के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है।

आदेशानुसार, करणबीर सिंह
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी–02,
कक्ष संख्या 26, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

DP/11053/CD/2025
(अदालती मामला)

अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 CrPC देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **रोहित उर्फ कालिया उर्फ मलिंगा पुत्र पवन निवासी मकान नंबर झुग्गी नंबर 86, मेन रोड मेट्रो स्टेशन, कन्हैया नगर, दिल्ली** ने **FIR No. 01/2021, U/S 379/411 IPC, अन्तर्गत थाना केशवपुरम, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **रोहित उर्फ कालिया उर्फ मलिंगा** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **रोहित उर्फ कालिया उर्फ मलिंगा** फरार हो गया है (या उक्त वारंट के तामील से बचने के लिये अपने आपको छिपा रहा है)।

अतः इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि **FIR No. 01/2021, U/S 379/411 IPC, अन्तर्गत थाना केशवपुरम, दिल्ली** के उक्त अभियुक्त **रोहित उर्फ कालिया उर्फ मलिंगा** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **18.11.2025** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार,
सुश्री दिव्या अरोड़ा
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी–04
उत्तर–पश्चिम, कोर्ट संख्या 112, प्रथम तल
रोहिणी कोर्ट, दिल्ली

DP/11091/NW/2025(Court Matter)

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 CrPC देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **मो. आदिल खान पुत्र** मो. इकबाल **निवासी** मकान नं. 27/97, गली नं0–14, 60 फुटा रोड विश्वाश नगर, शाहदरा, दिल्ली **यहां भीः** मो. मीराटोला, लहरपुर, सीतापुर, लहरपुर (उ.प्र.) –261135, ने **FIR No. 16/2021, U/S 356/379/411 IPC, पुलिस स्टेशन कृष्णा नगर, शाहदरा जिला, दिल्ली,** के अधीन दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किया गया गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **मो. आदिल खान** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **मो. आदिल खान** फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **FIR No. 16/2021, U/S 356/379/411 IPC, पुलिस स्टेशन कृष्णा नगर, शाहदरा जिला, दिल्ली,** के उक्त अभियुक्त **मो. आदिल खान** से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **22.11.2025** को या इससे पहले हाज़िर हो।

आदेशानुसार
श्री पी. भार्गव राव
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी–05, पूर्व,
कोर्ट नं0–03, द्वितीय तल, कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली

DP/11071/SHD/2025
(Court Matter)

प्रपत्र सं. 3
[विनियम–15 (1) (क) देखें]
ऋण वसूली न्यायाधिकरण
चंडीगढ़ (डीआरटी 2)
प्रथम तल एससीओ 33–34–35, सेक्टर–17 ए, चंडीगढ़ (तृतीय एवं चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित)
वाद सं. : ओ.ए./522/2025
ऋण वसूली न्यायाध